न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2016 (राजसमन्द डिक्री)

श्री प्रसन्न कोठारी पुत्र श्री सुगनचन्द जी कोठारी महाजन निवासी ईडवा हाल चारभुजा रोड़ आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती संगीता कोठारी पत्नी स्व. सुभाषचन्द कोठारी निवाी ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर (राज0)
2. श्री राजदीप पुत्र स्व. सुभाषचन्द्र जी कोठारी महाजन निवासी ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर (राज0)
3. रश्मी पुत्री स्व. सुभाषचन्द कोठारी महाजन निवासी ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर (राज0)
4. रूपल पुत्री स्व. सुभाषचन्द्र कोठारी महाजन निवासी ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी आमेट दिनांक 20–06–2016 प्रकरण
संख्या 55/2013 रेवेन्यू वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री गिरीश पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1 से 4
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5

———/———

निर्णय **दिनांक 15–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्ती व

घोषणा का एक वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ताणवाण के वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित किता–2 रकबा 0.1450 हैक्टर के रेकार्डेड खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता/पति स्वर्गीय सुभाषचन्द है। उक्त आराजी का क्रय वादी ने स्वयं के धन से किया था, परन्तु प्रेमवश अपने भाई स्वर्गीय सुभाषचन्द्र का नाम भी दर्ज करवा दिया था। उक्त भूमि में से 1000 वर्ग मीटर का रूपान्तरण कराकर गोडाउन भी निर्मित करा दिया था। सुभाषचन्द्र ने अपनी इच्छा से वादी के पक्ष में 7–8–1993 को हक त्याग कर दिया था। वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में दिंाक 20–2–2014 को प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 4 की और से खण्डन का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। दिनांक 13–4–2016 की पेशी तक पत्रावली तनकीयात में लम्बित थी एवं 13–4–2016 को पत्रावली के लिए आगामी तिथि 27–4–2016 तय की गई, परन्तु दिनांक 20–6–2016 को पत्रावली को लोक अदालत में रखी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–8–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की और से अधिवक्ता श्री गिरीश पुरोहित ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 औपचारिक पक्षकार सरकार की और से राजकीय अधिवक्थ्त ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के आंकड़े बढ़ाने के उद्धेश्य से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। प्रकरण में खण्डन का जवाब दावा उपलब्ध होने पर

तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना चाहियो था, जो नहीं किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा/सहमति नहीं होने पर भी आदेश 14 के आज्ञापक प्रावधानों अनुसार तनकीयात कायम नहीं की है तथा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर बिना साक्ष्य लिए तथा विधिक सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–5–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर